

वादीगण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी 03 लगायत 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 06 के विरुद्ध वाद तलवाने के अभाव में दिनांक : 14/09/2016 को निरस्त किया जा चुका है।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर वादीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव एवं वादीगण की अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।